

कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक...../ जि.विधि

III-01/2007-13]

दिनांक11.2013



फोन नं. :- 06456-222530, 222535

फैक्स नं. :- 06456-222626, 225480

ई-मेल :- dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक :- आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.,
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।

सेवा में,
अनुमंडल पदाधिकारी,
विक्रमगंज (रोहतास)।

विषय :- जी.आर. वाद संख्या 707/2011 में साक्ष्य के संबंध में।

महाशय,

विषयान्तर्गत पुलिस अधीक्षक, किशनगंज के ज्ञापांक 1555/अभि.को., दिनांक 01.11.2013 द्वारा साक्षी श्री पुरुषोत्तम कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज के साक्ष्य की सूचना प्राप्त है। संबंधित वाद में विज्ञ अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज के न्यायालय में साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 29.11.2013 है। सम्प्रति श्री सिन्हा रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल में पदस्थापित हैं।

अनुरोध है कि श्री सिन्हा, को संबंधित न्यायालय में अपना साक्ष्य देने हेतु निदेशित करने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह./-

(आदित्य कुमार दास)

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।

- ज्ञापांक 626/जि.विधि. किशनगंज, दिनांक 18.11.2013
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को इंगित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला स्थापना उप समाहर्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से भी संबंधित को एतद् विषयक सूचना देने का कष्ट किया जाय।
- प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, आई.टी., समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं संबंधितों को ई-मेल हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आदित्य कुमार दास)

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।